

## 1. अनुसूचित जाति के लिए लक्षित क्षेत्र में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा की योजना (श्रेष्ठ) (सीएस)

| वित्तीय परिव्यय<br>(करोड़ रुपये में) | निर्गम 2026-27 |   |   | परिणाम 2026-27 |        |                             |   |                                   |
|--------------------------------------|----------------|---|---|----------------|--------|-----------------------------|---|-----------------------------------|
|                                      | 2026-27        | निर्गम  | संकेतक  | लक्ष्य 2026-27 | परिणाम | संकेतक                      | लक्ष्य 2026-27 <sup>1</sup>   |                                   |
| 154                                  | 1.             | मोड-II: उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करके अनुसूचित जातियों के उत्थान की दिशा में काम करने वाले पात्र गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान प्रदान किया गया। | 1.1. उन छात्रों की संख्या जिनके लिए गैर-सरकारी संगठनों/वीओ को निधि जारी की जाती है।                         | 13,500         | 1.     | लाभान्वित छात्रों की संख्या | 1.1. अनुसूचित जाति के छात्रों का % जिन्हें अगली कक्षा में प्रवेश मिला है (% में)। | लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते |
|                                      | 2.             | मोड - I: शिक्षा और आवास उपलब्ध करवाने के लिए संबद्ध निजी आवासीय स्कूलों (सीबीएसई/एसएटी बोर्ड) को शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है।                             | 2.1. एनटीए परीक्षा के माध्यम से निजी आवासीय विद्यालयों में वर्ष के दौरान प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या | 3,000          | 2.     | लाभान्वित छात्रों की संख्या | 2.1. पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में लाभार्थियों का प्रतिशत (% में)         | लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते |

<sup>1</sup> योजना के अनुमोदन के अनुसार, मोड- I और मोड- II के तहत अधिकतम स्लॉट क्रमशः 3,000 और 13,500 हैं, जिन्हें आउटपुट-लक्ष्य 2026-27 के रूप में लिया गया है। इस योजना के तहत, लगभग 100% छात्रों को अगली कक्षा में प्रवेश मिला है। मोड- I के तहत, स्कूलों से शुल्क दावे प्राप्त करने के बाद स्कूलों को शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है और मोड-2 के तहत निरीक्षण दल से संतोषजनक रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद स्कूल/छात्रावास परियोजना चलाने के लिए संगठनों को निधि जारी की जाती है। तदनुसार, योजना के अंतर्गत परिणाम लक्ष्य का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

2. अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए वेंचर कैपिटल फंड (सीएस)

| वित्तीय परिव्यय<br>(करोड़ रुपये में) | निर्गम 2026-27   |  |                | परिणाम 2026-27  |   |                             |
|--------------------------------------|--|--|----------------|---|---|-----------------------------|
|                                      | निर्गम   | संकेतक   | लक्ष्य 2026-27 | निर्गम  | संकेतक  | लक्ष्य 2026-27 <sup>2</sup> |
| 0.01                                 | 1. अनुसूचित जाति के उद्यमियों को वित्तीय सहायता (अनुसूचित जातियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड (वीसीएफ-एससी) वीसीएफ-एससी के तहत अम्बेडकर सोशल इनोवेशन इनक्यूबेशन मिशन (एएसआईआईएम) | 1.1 इस योजना के तहत लाभान्वित अनुसूचित जाति के उद्यमियों की संख्या। (वीसीएफएससी-80 करोड़ रुपये) और (एएसआईआईएम - 5 करोड़ रुपये) | 15             | 1. योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति के उद्यमियों की संख्या में वृद्धि | 1.1 पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान अनुसूचित जाति के उद्यमियों (निर्माताओं, सेवा प्रदाताओं आदि) की संख्या में वृद्धि का प्रतिशत (% में) | 13                          |
|                                      | 2. पिछड़े वर्ग के उद्यमियों को वित्तीय सहायता (पिछड़े वर्गों के लिए वेंचर कैपिटल फंड (वीसीएफ-बीसी))  | 2.1 इस योजना के तहत लाभान्वित पिछड़े वर्ग के उद्यमियों की संख्या। (रु. 60 करोड़)   | 12             | 2. पिछड़े वर्गों के उद्यमियों की संख्या में वृद्धि।                                   | 2.1 पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान पिछड़े वर्ग के उद्यमियों (निर्माताओं/सेवा प्रदाताओं) की संख्या में वृद्धि का प्रतिशत (% में)।       | 40                          |

3. ओबीसी और ईबीसी के लिए यंग अचीवर्स हेतु उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति (श्रेयस) (सीएस)

<sup>2</sup> यह डेटा अनंतिम है और वित्त वर्ष 2025-26 के अंत में और शेष निवेश योग्य कोष की स्थिति के अनुसार इसमें परिवर्तन हो सकता है।

| वित्तीय परिव्यय<br>(करोड़ रुपये में) | निर्गम 2026-27   |   |                | परिणाम 2026-27   |   |                |
|--------------------------------------|--|---|----------------|--|---|----------------|
| 2026-27                              | निर्गम   | संकेतक  | लक्ष्य 2026-27 | निर्गम   | संकेतक  | लक्ष्य 2026-27 |
| 181.15                               | <b>I. ओबीसी और ईबीसी के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप।</b>                         |   |                |  |   |                |
|                                      | 1. पात्र ओबीसी छात्रों को फेलोशिप प्रदान करना                              | 1.1 फेलोशिप के लिए चालू वर्ष में चयनित छात्रों की संख्या  | 3,100          | 1. फेलोशिप की सहायता से पीएचडी अध्ययन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों की संख्या में वृद्धि.        | 1.1 राष्ट्रीय फेलोशिप के तहत पीएचडी पूरा करने वाले छात्रों की संख्या (संख्या में)   | 550            |
|                                      |  | 1.2 फेलोशिप के लिए चालू वर्ष में चयनित छात्रों की संख्या  | 930            |  | 1.2 राष्ट्रीय फेलोशिप के तहत पीएचडी पूरी करने वाली महिला छात्रों की संख्या (संख्या में)   | 165            |
| 0.10                                 | <b>II. ओबीसी और ईबीसी के विदेश में अध्ययन पर ब्याज सब्सिडी<sup>3</sup></b> |   |                |  |   |                |
|                                      | 1. पात्र ओबीसी/ईबीसी छात्रों को प्रदान की गई।                              | 1.1 ओबीसी/ईबीसी छात्रों की संख्या जो विदेश में उच्च अध्ययन यानी मास्टर डिग्री, पीएचडी के लिए शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी प्राप्त कर रहे हैं। | 4              | 1. ओबीसी/ईबीसी को विदेश में उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर प्रदान करना और उनकी रोजगार क्षमता में वृद्धि करना। | 1.1 पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में विदेश में स्नातकोत्तर/पीएचडी सफलतापूर्वक जारी रखने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि का प्रतिशत | 0              |
|                                      |  | 1.2 चालू वित्तीय वर्ष में कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या (लाख में)  | 0              |  | 1.2 पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में विदेश में स्नातकोत्तर /पीएचडी जारी रखने वाली छात्रों की संख्या में वृद्धि का प्रतिशत            | 0              |

#### 4. आजीविका और उद्यम के लिए लाभवंचित व्यक्तियों को सहायता (स्माइल) (सीएस)

<sup>3</sup> ओबीसी और ईबीसी के लिए विदेशी अध्ययन पर ब्याज सब्सिडी योजना एक पुरानी योजना है, जिसे वित्त वर्ष 2026-27 से बंद करने का प्रस्ताव है। वित्त वर्ष 2022-23 से, इस योजना के तहत केवल नवीनीकरण मामलों पर विचार किया गया है।

| वित्तीय परिव्यय<br>(करोड़ रुपये में) | निर्गम 2026-27   |   |                | परिणाम 2026-27   |   |                |
|--------------------------------------|--|---|----------------|--|---|----------------|
|                                      | निर्गम   | संकेतक  | लक्ष्य 2026-27 | निर्गम   | संकेतक  | लक्ष्य 2026-27 |
| 30                                   | I. भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्तियों का व्यापक पुनर्वास (सीएस)     |   |                |  |   |                |
|                                      | 1. योजना के तहत शहरों और लाभार्थियों की पहचान                      | 1.1 योजना के कार्यान्वयन के लिए पहचाने गए शहरों की संख्या | 50             | 1. भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्तियों का पुनर्वास                           | 1.1 योजना में भाग लेने वाले शहरों की संख्या   | 50             |
|                                      |  | 1.2 योजना के तहत पहचाने गए व्यक्तियों की संख्या           | 1,500          |  | 1.2 योजना के तहत पुनर्वास किए गए व्यक्तियों की संख्या   | 5,000          |
| 45                                   | II. ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास (सीएस) |   |                |  |   |                |
|                                      | 1. ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का कल्याण                                | 1.1 योजना में लाभार्थियों की संख्या                       | 40,000         | 1. इस योजना के तहत लाभान्वित होने वाले ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का पुनर्वास। | 1.1 पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में इस योजना के माध्यम से लाभान्वित होने वाले लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि का प्रतिशत (% में) | 100            |

5. राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता इकोसिस्टम कार्ययोजना (नमस्ते) (सीएस)

| वित्तीय परिव्यय<br>(करोड़ रुपये में)                                   | निर्गम 2026-27  |        |                | परिणाम 2026-27  |  |                |
|--|---|--------|----------------|---|--|----------------|
| 2026-27  | निर्गम  | संकेतक | लक्ष्य 2026-27 | निर्गम  | संकेतक   | लक्ष्य 2026-27 |
| 110  | <b>I. सीवर और सेप्टिक टैंक के कर्मचारी</b>  |        |                |   |  |                |
| 1. नमस्ते के तहत लक्षित समूह का क्षमता निर्माण                         | 1.1 व्यावसायिक सुरक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित एसएसडब्ल्यू की संख्या। |        | 20,000         | 1. योजना के तहत पहचाने गए स्वच्छता कामगारों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना | 1.1 प्रशिक्षण पूरा होने के बाद सत्यापित एसएसडब्ल्यू का % (% में)   | 90             |
|  | 1.2 स्वच्छता कार्य के लिए मशीनीकृत उपकरण प्रदान किए गए लाभार्थियों की संख्या      |        | 100            |   | 1.2 मशीनीकृत उपकरण प्राप्त करने के बाद रोजगार/स्वरोजगार प्राप्त करने वाले लाभार्थियों का प्रतिशत (प्रतिशत में) | 100            |
|  | 1.3 वर्ष के दौरान आयोजित कार्यशालाओं की संख्या                                    |        | 500            |   | 1.3 कार्यशालाओं के माध्यम से जागरूक किए गए व्यक्तियों की संख्या।   | 20,000         |
| <b>II. कचरा बीनने वाला घटक</b>   |   |        |                |   |  |                |
| 1. नमस्ते के तहत कचरा बीनने वालों की गणना और योजना का लाभ प्रदान करना। | 1.1 कचरा बीनने वालों की गणना की गई और उन्हें ई-केवाईसी के साथ सत्यापित किया गया   |        | 50,000         | 1. कचरा बीनने वालों की पहचान और बेहतर व्यावसायिक सुरक्षा।                       | 1.1 कचरा बीनने वालों का प्रतिशत जिन्हें विशिष्ट नमस्ते आईडी दी गई  | 90             |
|  | 1.2 कचरा बीनने वालों के लिए व्यावसायिक सुरक्षा प्रशिक्षण.                         |        | 25,000         |   | 1.2 व्यावसायिक सुरक्षा प्रशिक्षण के बाद सत्यापित कचरा बीनने वाले का %  | 90             |

| वित्तीय परिव्यय<br>(करोड़ रुपये में) | निर्गम 2026-27 |  |                | परिणाम 2026-27 |  |                |
|--------------------------------------|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 2026-27                              | निर्गम         | संकेतक   | लक्ष्य 2026-27 | निर्गम         | संकेतक   | लक्ष्य 2026-27 |
|                                      |                | 1.3 सत्यापित कचरा बीनने वाले को पीपीई किट का संवितरण | 30,000         |                | 1.3 बेहतर सुरक्षा और स्वच्छता वाले कचरा बीनने वालों का % | 90             |

6. ड्रग्स की मांग में कमी की राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर) (सीएसएस)

| वित्तीय परिव्यय<br>(करोड़ रुपये में) | निर्गम 2026-27   |   |                | परिणाम 2026-27   |  |                |
|--------------------------------------|--|---|----------------|--|--|----------------|
| 2026-27                              | निर्गम   | संकेतक  | लक्ष्य 2026-27 | निर्गम   | संकेतक   | लक्ष्य 2026-27 |
| 400                                  | 1. नशीले पदार्थों के दुरुपयोग से पीड़ित व्यक्ति का पुनर्वास तथा स्कूल, कॉलेज, समुदाय, गांवों आदि में जागरूकता पैदा करना। | 1.1 एनएपीडीडीआर योजना के तहत कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या               | 19,54,800      | 1. नशीले पदार्थों के दुरुपयोग से पीड़ितों का पुनर्वास / योजना के तहत लाभान्वित व्यक्ति | 1.1 नशे की लत से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या जिनका सफलतापूर्वक पुनर्वास और समाज में पुनः एकीकरण किया गया | 19,54,800      |
|                                      |  | 1.2 वर्ष के दौरान आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या                     | 2,000          |  |  |                |
|                                      |  | 1.3 हितधारकों के क्षमता विकास के लिए आयोजित प्रशिक्षण/कार्यशालाओं की संख्या | 325            |  |  |                |

7. वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई)

| वित्तीय परिव्यय <sup>4</sup><br>(करोड़ रुपये में)  | निर्गम 2026-27   |        |                | परिणाम 2026-27   |   |                |
|--|--|--------|----------------|--|---|----------------|
| 2026-27  | निर्गम   | संकेतक | लक्ष्य 2026-27 | निर्गम   | संकेतक  | लक्ष्य 2026-27 |
| 237.6  | I. राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई) (सौएस)  |        |                |  |   |                |
| 1. आरवीवाई के तहत शारीरिक सहायक उपकरण और जीवन सहायक यंत्र उपलब्ध कराते हुए सामान्य स्थिति बहाल करना। | 1.1 जीवन सहायक यंत्र प्राप्त करने वाले पात्र वरिष्ठ नागरिकों की संख्या                         |        | 3,08,400       | 1. आरवीवाई के तहत शारीरिक सहायक उपकरण और जीवन सहायक यंत्र प्रदान करके सामान्य स्थिति की बहाली। | 1.1 पिछले वर्ष की तुलना में मूल्यांकन किए गए पात्र वरिष्ठ नागरिकों की संख्या में वृद्धि का प्रतिशत (प्रतिशत में)                    | 20             |
|  | 1.2 पात्र वरिष्ठ नागरिकों को प्रदान किए गए जीवन सहायक यंत्रों की संख्या                        |        | 9,25,200       |  | 1.2 पिछले वर्ष की तुलना में पात्र वरिष्ठ नागरिकों को प्रदान किए गए जीवन सहायक यंत्रों की संख्या में वृद्धि का प्रतिशत (प्रतिशत में) | 20             |
|  | 1.3 लाभार्थियों की संख्या (पात्र वरिष्ठ नागरिक जिन्हें शारीरिक सहायक उपकरण और जीवन सहायक यंत्र |        | 3,08,400       |  |   |                |
|  |  |        |                |  |   | 20             |

<sup>4</sup> इसमें दर्शाए गए वित्तीय परिव्यय और तदनुरूप वास्तविक लक्ष्य अनंतिम हैं और वय्य वित्त समिति (ईएफसी) के विचार-विमर्श और अनुमोदन के आधार पर इनमें संशोधन किया जा सकता है।

| वित्तीय परिव्यय <sup>4</sup><br>(करोड़ रुपये में) | निर्गम 2026-27   |  |                | परिणाम 2026-27  |  |                |
|---|--|--|----------------|---|--|----------------|
| 2026-27   | निर्गम   | संकेतक   | लक्ष्य 2026-27 | निर्गम  | संकेतक   | लक्ष्य 2026-27 |
|   |  | प्रदान किए गए हैं।   |                |   | 1.3 पिछले वर्ष की तुलना में लाभार्थियों (पात्र वरिष्ठ नागरिक जिन्हें शारीरिक सहायक उपकरण तथा जीवन सहायक यंत्र प्रदान किए गए थे) की संख्या में वृद्धि का प्रतिशत। (प्रतिशत में) |                |
| 70  | <b>II. एल्डर लाइन - वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन (सीएस)</b>  |  |                |   |  |                |
|   | 1. शिकायत निवारण   | 1.1 दर्ज की गई शिकायतों की संख्या                              | 5,00,000       | 1. एल्डरलाइन की पहुंच                                   | 1.1 सभी राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों (36) में हेल्पलाइन उपलब्ध है। (प्रतिशत में)  | 100            |
|   |  | 1.2 निवारण की गई शिकायतों की संख्या                            | 5,00,000       | 2. शिकायत निवारण  | 1.2 शिकायत निवारण का प्रतिशत (प्रतिशत में)   | 100            |
| 291.36  | <b>III. एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम (आईपीएसआरसी)</b>  |  |                |   |  |                |
|   | 1. माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम-2007 के अनुसार निर्धन वरिष्ठ नागरिकों के लिए वरिष्ठ नागरिक गृह | 1.1 चालू किए गए वरिष्ठ नागरिक गृहों/सतत देखभाल गृहों की संख्या | 180            | 1. निर्धन वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार | 1.1 पिछले वर्ष की तुलना में निर्धन लाभार्थियों की संख्या में परिवर्तन का प्रतिशत। (प्रतिशत में)  | 8              |
|   |  | 1.2 उन जिलों की संख्या जहां नए वरिष्ठ नागरिक गृह उपलब्ध हैं।   | 100            | 2. कवर किए गए जिले                                      | 1.2 चालू वित्त वर्ष में शामिल जिलों का प्रतिशत (प्रतिशत में)   | 13             |

8. डीएनटी के आर्थिक सशक्तिकरण की योजना (सीड)

| वित्तीय परिव्यय<br>(करोड़ रुपये में) | निर्गम 2026-27   |  |  | परिणाम 2026-27                            |   |        |
|--------------------------------------|--|--|--|---|---|--------|
|                                      | 2026-27  | निर्गम   | संकेतक   | लक्ष्य 2026-27                            | निर्गम  | संकेतक |
| 98.30                                | 1. प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अच्छी कोचिंग सुविधाएं प्रदान करना                                      | 1.1 कोचिंग कार्यक्रमों में नामांकित छात्रों की संख्या। | 1,600  | 1. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच          | 1.1 प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग पाठ्यक्रम पूरा करने वाले नामांकित छात्र का प्रतिशत। (प्रतिशत में)         | 100    |
|                                      | 2. आवासीय विद्यालय में डीएनटी के छात्रों (विशेष रूप से छात्राओं) के नामांकन और प्रतिधारण में वृद्धि। | 2.1 नामांकित छात्राओं की संख्या।                       | लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते <sup>5</sup> | 2. अच्छी शिक्षा के लिए बच्चे का सशक्तिकरण | 2.1 कोचिंग का लाभ उठाने वाले और प्रतियोगी परीक्षाओं में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों का प्रतिशत। (प्रतिशत में) | 70     |
|                                      |  | 2.2 आवासीय विद्यालय में नामांकित छात्रों की संख्या     | 22,000   |   | 2.2 शैक्षणिक वर्ष पूरा करने वाले नामांकित छात्रों का प्रतिशत। (प्रतिशत में)                                     | 100    |

<sup>5</sup> लिंग-वार कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

| वित्तीय परिव्यय<br>(करोड़ रुपये में) | निर्गम 2026-27  |  |  | परिणाम 2026-27                                 |  |  |
|--------------------------------------|---|--|--|--|--|--|
| 2026-27                              | निर्गम  | संकेतक   | लक्ष्य 2026-27                                 | निर्गम   | संकेतक   | लक्ष्य 2026-27                                 |
| 3.                                   | राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) (आयुष्मान कार्ड) के माध्यम से राष्ट्रीय बीमा सुविधा प्रदान करने की सुविधा देना | 3.1 आयोजित किए गए जागरूकता शिविरों/पंजीकरण अभियानों की संख्या।   | लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते <sup>6</sup> | 3. स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच                 | 3.1 पिछले कुछ वर्षों में डीएनटी लाभार्थियों में प्रतिशत वृद्धि (प्रतिशत में)                                     | 100  |
|                                      |   | 3.2 स्वास्थ्य बीमा के तहत नामांकित डीएनटी लाभार्थियों की संख्या (आयुष्मान कार्ड)   | 1  |  |  |  |
| 4.                                   | आयोजित किए गए आजीविका/उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम  | 4.1 प्रशिक्षण देने में लगे संस्थानों की संख्या   | लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते <sup>7</sup> | 4. आजीविका और उद्यमिता के लिए कौशल बढ़ाया गया। | 4.1 कौशल विकास में सफलतापूर्वक प्रशिक्षित डीएनटी युवाओं का प्रतिशत (प्रतिशत में)                                 | 100  |
|                                      |   | 4.2 कौशल विकास में नामांकित डीएनटी युवाओं की संख्या  | 3,000  |  | 4.2 कुशल विकास में सफलतापूर्वक प्रशिक्षित डीएनटी महिलाओं का प्रतिशत  | लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते <sup>8</sup> |
|                                      |   | 4.3 डीएनटी/एनटी/एसएनटी समुदायों के संस्थानों के लघु समूहों की संख्या तथा आजीविका (स्वयं सहायता समूह) के लिए सहायता को मजबूती देना। | 1,500  |  | 4.3 कौशल विकास के लिए सफलतापूर्वक काम करने वाले लघु समूहों का प्रतिशत (प्रतिशत में)                              | 100  |
| 5.                                   | आवास निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की सुविधा सुगम बनाना   | 5.1 घरों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता के लिए नामांकित लाभार्थियों की कुल संख्या।   | 1,000  | 5. लाभार्थियों के निवास की स्थिति में सुधार।   | 5.1 वित्त वर्ष में नामांकित लाभार्थियों में से घर निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले लाभार्थियों का | 100  |

<sup>6</sup> आवश्यकता के अनुसार।

<sup>7</sup> आवश्यकता के अनुसार।

<sup>8</sup> लिंग-वार कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

| वित्तीय परिव्यय<br>(करोड़ रुपये में) | निर्गम 2026-27 |        |                | परिणाम 2026-27 |                        |                |
|--------------------------------------|----------------|--------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| 2026-27                              | निर्गम         | संकेतक | लक्ष्य 2026-27 | निर्गम         | संकेतक                 | लक्ष्य 2026-27 |
|                                      |                |        |                |                | प्रतिशत। (प्रतिशत में) |                |

**9. अनुसूचित जाति के लिए यंग अचीवर्स हेतु उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति (श्रेयस) (सीएस)**

| वित्तीय परिव्यय<br>(करोड़ रुपये में) | निर्गम 2026-27  |  |                | परिणाम 2026-27  |  |                |
|--------------------------------------|---|--|----------------|---|--|----------------|
| 2026-27                              | निर्गम  | संकेतक   | लक्ष्य 2026-27 | परिणाम  | संकेतक   | लक्ष्य 2026-27 |
| 181.25                               | <b>i. अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप</b>                                      |  |                |   |  |                |
|                                      | 1. अनुसूचित जाति के पात्र छात्रों को फेलोशिप प्रदान करना                              | 1.1 फेलोशिप प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या  | 4,400          | 1. अनुसूचित जाति के छात्रों द्वारा पीएचडी का सफलतापूर्वक पूरा करना।                               | 1.1 अनुसूचित जाति के छात्रों का % जिन्होंने सफलतापूर्वक पीएचडी पूरी की।                                | 100            |
|                                      |   | 1.2 चालू वर्ष में फेलोशिप के तहत चुने गए नए छात्रों की संख्या                              | 2,000          |   | 1.2 अनुसूचित जाति की छात्राओं का प्रतिशत जिन्होंने सफलतापूर्वक पीएचडी पूरी की।                         | 100            |
|                                      | <b>ii. अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निःशुल्क कोचिंग</b>                   |  |                |   |  |                |
|                                      | 1. छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने में सक्षम बनाने के लिए कोचिंग प्रदान करना | 1.1 विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग कक्षाओं के लिए चयनित ओबीसी छात्रों की संख्या | 1,050          | 1. परीक्षा जिसके लिए उम्मीदवारों ने कोचिंग कक्षाओं में भाग लिया है, में चयनित/उत्तीर्ण उम्मीदवार। | 1.1 ओबीसी छात्रों का % जो उस परीक्षा में चयनित/उत्तीर्ण हो गए जिसके लिए उन्होंने कोचिंग ली थी (% में)। | 4              |
|                                      |   | 1.2 विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग कक्षाओं के लिए                               | 315            |   | 1.2 ओबीसी की छात्राओं का % जो उस परीक्षा में   | 4              |

| वित्तीय परिव्यय<br>(करोड़ रुपये में)   | निर्गम 2026-27  |   |  | परिणाम 2026-27   |  |                |
|--|---|---|--|--|--|----------------|
| 2026-27  | निर्गम  | संकेतक  | लक्ष्य 2026-27   | परिणाम   | संकेतक   | लक्ष्य 2026-27 |
|  |   | चयनित ओबीसी छात्राओं की संख्या  |  |  | चयनित/उत्तीर्ण हुईं, जिसके लिए उन्होंने कोचिंग ली थी (% में)।  |                |
|  |   | 1.3 विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु कोचिंग कक्षाओं के लिए चुने गए अनुसूचित जाति के छात्रों की संख्या       | 2,450  |  | 1.3 अनुसूचित जाति के छात्रों का % जो उस परीक्षा में चयनित/उत्तीर्ण हो गए जिसके लिए उन्होंने कोचिंग ली थी (% में)।              | 4              |
|  |   | 1.4 विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु कोचिंग कक्षाओं के लिए चयनित अनुसूचित जाति की छात्राओं की संख्या।       | 735  |  | 1.4 अनुसूचित जाति की छात्राओं का % जो उस परीक्षा में चयनित/उत्तीर्ण हुईं जिसके लिए उन्होंने कोचिंग ली थी (% में)।              | 4              |
|  | <b>iii. अनुसूचित जाति के लिए टॉप क्लास शिक्षा</b>                                     |   |  |  |  |                |
|  | 1. नई छात्रवृत्तियों के माध्यम से अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना | 1.1 प्रतिष्ठित संस्थानों में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों की संख्या | 4,500  | 1. अनुसूचित जाति के छात्र अपना पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर रहे थे, जिसके लिए छात्रवृत्ति दी गई थी। | 1.1 अनुसूचित जाति के छात्रों का प्रतिशत जिन्होंने अपना पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया जिसके लिए छात्रवृत्ति दी गई थी (% में)। | 100            |
| 1.2 प्रतिष्ठित संस्थानों में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाली अनुसूचित जाति की छात्राओं की संख्या |   | 1,350   |  |  |  |                |
| 1.3 नई छात्रवृत्ति के लिए चुने गए अनुसूचित जाति के छात्रों की संख्या   |   | 1,900   | 1.2 अनुसूचित जाति के छात्राओं का प्रतिशत जिन्होंने अपना पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया जिसके लिए छात्रवृत्ति दी |  |  |                |
| 1.4 नई छात्रवृत्ति के लिए चयनित अनुसूचित जाति की छात्राओं  |   | 570   |  |  |  |                |

| वित्तीय परिव्यय<br>(करोड़ रुपये में) | निर्गम 2026-27  |  |                | परिणाम 2026-27   |  |                |
|--------------------------------------|---|--|----------------|--|--|----------------|
| 2026-27                              | निर्गम  | संकेतक   | लक्ष्य 2026-27 | परिणाम   | संकेतक   | लक्ष्य 2026-27 |
|                                      |   | की संख्या  |                |  | गई थी (% में)।   |                |
|                                      | <b>iv. अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति</b>   |  |                |  |  |                |
|                                      | 1. अनुसूचित जाति के पात्र छात्रों, विमुक्त घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों, भूमिहीन कृषि मजदूरों और पारंपरिक श्रेणी के कारीगरों के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करना। | 1.1 विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए चयनित अनुसूचित जाति आदि छात्रों की संख्या। | 125            | 1. अनुसूचित जाति के छात्र आदि जिन्होंने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विदेश में उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति का लाभ उठाया है। | 1.1 चालू वित्त वर्ष के दौरान विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति आदि के छात्रों की कुल संख्या | 115            |
|                                      |   | 1.2 विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए चयनित अनुसूचित जाति आदि छात्रों की संख्या। | 38             |  | 1.2 चालू वित्त वर्ष के दौरान विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाली अनुसूचित जाति आदि की छात्रों की संख्या     | 38             |

